N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0154 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/07/2024 18:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/07/2024 **Time (समय):** 14:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/07/2024 18:12:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GANESH MANDIR TIRAHA, DEEG

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVKANT PARASHAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJENDRA KUMAR PARASHAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KESHRA, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KESHRA, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVENDRA SINGH		पिता:PYARELAL	1. WARD 9 KACCHE TALAB KE PAS MORI MOHALLA,DEEG, डीग,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 23.07.2024 को उच्चाधिकारियों के मार्फत परिवादी श्री देवकान्त पाराशर ने मन् निरीक्षक पुलिस को लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि " मैं व मेरी पत्नी CHC जुरहरा ब्लॉक कामां, जिला डीग में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर कार्यरत हैं। 11 दिसम्बर 2023 की रात्रि को मेरी पत्नी की CHC जुरहरा के लेबर रूम में ड्यूटी थी। पत्नी से ठीक पहले उस दिन ड्यूटी पर तैनात महिला GNM कर्मचारी लेबर रूम में सरकारी टैबलेट को खुद के मोबाईल व्हासअप से कनेक्ट कर रखा था जिसे वह लॉग आउट करना भूल गई थी मेरी पत्नी ने जब ड्यूटी के दौरान टैबलेट को देखा तो उसमें उक्त महिला GNM कर्मचारी की CHC पर NGO के मार्फत कार्यरत कम्प्यूटर कर्मी श्री जितेन्द्र के साथ अश्लील चैंटिग चल रही थी इस पर मैंने ड्यूटी डाक्टर अमित कुमार नागर को बुलाया उक्त सारी चैट दिखाई तो डा. अमित ने CHC इंचार्ज डा.करम ईलाही को बताने का आश्वासन दिया, सरकारी टैबलेट का दुरूपयोग करते हुये चैट का उसी समय मेरी पत्नी ने अपने मोबाईल से उसी समय फोटो लिये और वीडियो बनाया था सुबह उक्त कर्मचारी के कृत्य की जानकारी होने पर CHC इंचार्ज ने उसकी सेवा प्रदाता एजेन्सी को उसकी सेवा समाप्त कर दूसरे को लगाने के आदेश जारी कर दिये, कुछ दिन बाद CHC इंचार्ज ने उक्त जितेन्द्र को वापिस सेवा में रख लिया जितेन्द्र द्वारा मेरी पत्नी के साथ गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करने की शिकायत लिखित में मेरी पत्नी द्वारा खण्ड मु. चि. अधिकारी, कामां को दिनांक 14/3/24 को दी गई जिसे BCMO कामां ने सी.एम. एच.ओ.,डीग को भेज दिया। मेरी पत्नी की शिकायत पर RCHO डीग डा.धर्मवीर फौजदार, देवेन्द्र वरिष्ठ सहायक तथा वीरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक की जाँच कमेटी गठित की, उक्त जांच कमेटी के सदस्य श्री देवेन्द्र कुमार ने मेरी पत्नी व मेरे विरूद्ध उक्त जांच में दोषी पाये जाने तथा उक्त जांच को हमारे पक्ष में करने की एवज में CMHO, व RCHO डीग, वीरेन्द्र कुमार को भी पैसे देने की बात करते हुए 40 (चालीस) हजार रूपये की मांग कर रहा है, मेरी CMHO विजय सिंघल देवेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक, श्री वीरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक व RCHO श्री धर्मवीर फौजदार से कोई उधार की लेनदेन नहीं है व न ही कोई रंजिश है। मैं उक्त भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हू।' उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोकसेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाने के कारण मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रमजान कानि0 नं0 466 को तलब कर परिवादी श्री देवकान्त पाराशर से परिचय करवाया जाकर श्री रमजान कानि0 नं0 466 से कार्यालय से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली एसडी कार्ड/मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर उसका खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन आज दिनांक को करवाया जाना सम्भव नहीं होना बताकर दिनांक 24.07.2024 को करवाने के बारे में बताने पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर कानि0 श्री रमजान अली को सुपुर्द कर दिनांक 24.07.2024 को परिवादी से भरतपुर पहुंचकर नियमानुसार सत्यापन करवाने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2024 को परिवादी श्री देवकान्त की रिपोर्ट पर सत्यापन करवाया गया, जिसमें संदिग्ध श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा सीएचसी जुरहेरा में पदस्थापित परिवादी, परिवादी की पत्नी तथा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध प्रस्तावित जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा गठित जांच कमेटी में सदस्य होकर, उक्त की जांच रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में तैयार करने की एवज में सीएमएचओ डा0 विजय सिंघल, स्वयं तथा जांच कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य के लिये 40,000/- रूपये मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ कम करने की कहने पर 30,000/- रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। परिवादी को पूछने पर उसके द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। जिस पर परिवादी को रिश्वत मांग के अनुसार संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत की गई। दिनांक 25.07.2024 को परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि मैंने पैसों की व्यवस्था कर ली है तथा मैं संदिग्ध अधिकारी देवेन्द्र सिंह से बात करूॅगा तो वह कल भी पैसे ले लेगा। कुछ समय पश्चात परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी संदिग्ध श्री देवेन्द्र सिंह से बात हो गई है उसने मुझे रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 26.07.2024 को बुलाया है तथा अपने व्हाट्सएप से मुझे जॉच रिपोर्ट का तैयार शुदा ड्राफ्ट भेजा है। जिस पर ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री पदम सिंह, कनिष्ठ सहायक व श्री इमरान

खान, कनिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह् के तौर पर पाबंद करवाया गया। उक्त दोनो गवाहान को जरिये मोबाईल फोन दिनांक 26.07.2024 को कार्यालय समय में ब्यूरो मुख्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबंद किया गया। कार्यालय स्टाफ को भी दिनांक 26.07.2024 को प्रातः समय पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 26.07.2024 को प्रातः 07◌:30 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा कार्यालय स्टाफ तलबिदा कार्यालय में उपस्थित आये, जिस पर दोनों गवाहान श्री पदम सिंह, कनिष्ठ सहायक व श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक को अब तक परिवादी की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया, परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया, परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य दिनांक 24.07.2024 को हुई रिश्वती मांग सम्बन्धी वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सुनाई गई। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने के बारे में पूछने पर दोनों गवाहान ने स्वेच्छा से टै्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह् रहने की सहमति प्रदान की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री कमलेश कुमार कानि 293 से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री कमलेश कुमार कानि. को अपने बैग में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री पदम सिंह, श्री इमरान खान मय श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि.35 श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री महेन्द्र कुमार कानि0 न0 372, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री कमलेश कुमार कानि0 293 कानि. चालक श्री सुरेन्द्र के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु समय 08◌:00 एएम पर ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुआ। थोडी देर बाद परिवादी श्री देवकान्त ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि मैं, मथुरा बाईपास रोड़, भरतपुर पर होटल हॉलीडे, पर आपको मिल जाउ◌ॅगा। समय 11.13 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराहियान के साथ परिवादी के बताये गये स्थान होटल हॉलीडे, मथुरा बाईपास रोड़, भरतपुर के सामने पहु◌ॅच कर गाड़◌ी को साईड में खड़ी करवाकर परिवादी को व्हाट्सएप कॉल किया तो परिवादी ने होटल के अन्दर बुलाने पर गाड़◌ी को साईड में खड़ी करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराहियान गवाह व जाब्ते के साथ होटल हॉलीडे, मथुरा बाईपास रोड़, भरतपुर के कमरा नम्बर 103 में पहॅ◌ुंचा, जहॉ पर परिवादी तथा एक महिला उपस्थित मिली। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त महिला के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि यह मेरी पत्नी है यह भी हमारे साथ ही चलेंगी। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष परिवादी श्री देवकान्त पाराशर को दिनांक 24.07.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी श्री देवकान्त पाराशर ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 30,000/-रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर होटल होली डे, मथूरा बाईपास रोड, भरतपुर के कमरा नं0 103 में उपस्थित श्री कमलेश कुमार कानि0 293 से उसके बैग में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर होटल के उक्त कमरे की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर परिवादी द्वारा पेश किये गये। उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोटों पर श्री कमलेश कुमार कानि0 293 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह् श्री इमरान खान से परिवादी श्री देवकान्त पाराशर की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास उसकी गाडी की चाबी के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री कमलेश कुमार कानि0 293 से परिवादी के पहनी हुई पेंट के सामने की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 30,000/-रू. संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर [redacted] या श्री रमजान अली कानि. नं. 466 के मोबाईल नं. [redacted] पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें। इसके पश्चात् परिवादी को आवश्यक हिदायत कर उपस्थितगणों को श्री कमलेश कुमार कानि0 293 से फिनॉफथलीन पावडर की कार्यवाही का दृष्टान्त प्रदर्शित किया गया। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कानि. श्री कमलेश कुमार नं. 293 को सुपुर्द कर उसके बैग में सुरक्षित रखवाई गई तथा श्री कमलेश कुमार कानि0 293 के दोनां हाथां को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया । कानि. श्री कमलेश कुमार नं. 293 से जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक व हमराही जाब्ता में सभी के हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। श्री कमलेश कुमार कानि0 293 को फिनॉथलीन पावडर की शीशी अपने बेग में सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की

हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय 12.35 पीएम पर श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री पदम सिंह, श्री इमरान खान श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि.35 श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री महेन्द्र कुमार कानि0 न0 372, श्री रमजान कानि0 न0 466, कानि. चालक श्री सुरेन्द्र के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु डीग हेतु रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं परिवादी की पत्नी तथा श्री रमजान अली, कानि.466 के परिवादी की गाड़ी में होटल होली डे, मथुरा बाईपास रोड़, भरतपुर से रवाना होकर समय 01.30 पीएम पर डीग पहुँचे। जहां पर पहले सीएमएचओ कार्यालय के आस-पास की जगह का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के मोबाईल फोन से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्स एप्प कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। थोडी देर बाद परिवादी के वाहन तथा सरकारी वाहन को गणेश मन्दिर, सीएमएचओ कार्यालय, डीग से थोड़ी दूरी पहले साईड में खड़ा करवाकर परिवादी श्री देवकान्त पाराशर के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर जरिये व्हाट्सएप पुनः कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा दो मिनट में आने का कहा गया। उक्त कॉल को नियमानुसार विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप पार्टी सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान को परिवादी की गाड़ी के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहने की हिदायत की गई। परिवादी ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता श्री देवेन्द्र ने मेरी गाडी में बैठकर की थी यदि संदिग्ध अधिकारी मेरी गाड़ी में बैठकर रिश्वती राशि प्राप्त करता है तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के उपरान्त मैं अपनी गाड़ी के इण्डीकेटर चालु कर निर्धारित ईशारा कर दूंगा। श्री रमजान अली कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को सुपुर्द कराया गया मन् पुलिस निरीक्षक तथा श्री रमजान अली कानि. भी परिवादी की गाड़ी से उतरकर परिवादी की गाड़ी के आस-पास ही अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम हुये। समय 02०:00 पीएम पर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से परिवादी की गाडी के पास में आया तथा परिवादी की गाड़ी के पास आकर मोटर साईकिल को परिवादी की गाड़ी के सामनें खड़ा कर परिवादी की गाड़ी का कण्डक्टर साईड का फाटक खोल कर ड्राईवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। कुछ समय पश्चात परिवादी की पत्नी परिवादी की गाड़ी से उतरकर बाहर चली गई तथा परिवादी की गाड़ी में परिवादी व संदिग्ध अधिकारी मौजूद रहे। समय 02.04 मिनट पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री देवकान्त पाराषर ने पूर्व में निर्धारित अपनी गाडी आरजे 05 सीसी 9727 के इण्डीगेटर चलाकर गोपनीय ईषारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त टीम को परिवादी की गाडी के पास में पहुंचने का ईषारा कर हमराहियान स्वतंत्र गवाहान तथा टीम सदस्यों के साथ गणेष मंदिर तिराया, डीग पर पार्क की तरफ खडी परिवादी की गाडी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी की गाडी में देंखने पर ड्राईवर शीट पर परिवादी स्वयं तथा आगे की दूसरी शीट पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गाडी के आगे का कन्डक्टर साईड का फाटक खुलवाने पर परिवादी ने डीजीटल वॉयस रिकॉर्डर कानि. श्री रमजान अली को सुपुर्द किया जिसे कानि. श्री रमजान अली ने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने अपनी गाडी में अपने बगल की आगे की शीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यह ही संदिग्ध श्री देवेन्द्र सिंह, बाबू है जिसने अभी मेरे से मेरे, मेरी पत्नी तथा सीएचसी जुरहेरा में पदस्थापित अन्य कार्मिकों के आपसी विवाद की प्रस्तावित जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीग द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच हमारे पक्ष में करने की एवज में सीएमएचओ डा0 विजय बंसल, जांच कमेटी के सदस्यों तथा स्वयं के लिये 40,000/- रूपये मांग रहा था तथा अभी उक्त कार्य की एवज में श्री देवेन्द्र सिंह ने मुझसे रिष्वत की राषि 30,000/- रूपये प्राप्त कर अपने हाथों में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट सामने की दाहिनी जेब में रखे है। तत्पष्चात् परिवादी के पास उसकी गाडी में आगे की कन्डक्टर शीट पर परिवादी के बगल में बैठे व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं0 09, कच्चे तालाब के पास, मोरी मोहल्ला, डीग हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को परिवादी श्री देवकान्त पाराषर की तरफ ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे कोई रिश्वत राशि ली है, तो पहले घबरा गये तथा फिर उन्होंने बताया कि मैंने इनसे 30,000/- रूपये प्राप्त किये है वो इनकी इन्क्वायरी चल रही थी। जिसमें यह अपने पक्ष में जांच रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु मुझे बार-बार कहलवा रहे थे। जिस पर संदिग्ध श्री देवेन्द्र सिंह को उक्त राषि किसके लिये लेने के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया की यह मैंने मेरे लिये ही लिये है। चूंकि वाका आम तिराया पर स्थित है जहां पर लोगों की आमद रफत तथा वाहनों की आवाजाही अधिक होने से अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से संदिग्ध आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को गाडी की पीछे की शीट पर बैठाकर गाडी की पीछे की शीट पर आरोपी के दाहिनी तरफ हमराहियान कानि. श्री रमजान अली 466 तथा बांयी तरफ गवाह श्री पदम सिंह को बिठाया गया। संदिग्ध आरोपी को शांत बैठे रहने की हिदायत की गई। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह की मोटरसाईकिल नं0 आरजे 05 एसडी 6748 की चाबी संदिग्ध आरोपी से प्राप्त कर हमराहियान कानि0 श्री महेन्द्र कुमार नं0 372 को सुपुर्द कर आरोपी की मोटरसाईकिल को पीछे-पीछे लाने की हिदायत की गई। तत्पष्चात्

हमराहियान को सरकारी वाहन में बैठाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु खुले स्थान के लिये मौके से रवाना होकर पथवारी मंदिर के पास स्थित पेंट्रोल पम्प के पास पहुंचें, जहां पेंट्रोल पम्प के सामने रोड के दूसरी तरफ एक बंद दूकान के आगे खुला स्थान दिखाई देने पर परिवादी के वाहन एवं सरकारी वाहन को उक्त दूकान के आगे खडा करवाया। श्री महेन्द्र कुमार कानि0 भी पीछे-पीछे संदिग्ध आरोपी की मोटरसाईकिल को लेकर उपस्थित आया जिसे भी वाहनों के पास में खडा करवाया गया। ताबाद हमराहियान जाब्ते तथा स्वतंत्र गवाहान के साथ परिवादी को उक्त बंद दूकान के सामने ले जाकर सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स तथा साफ पानी की बोतल मंगवाई जाकर परिवादी श्री देवकान्त पाराषर द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु दो साफ कांच के गिलासो में पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के बांये हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को ली गई रिष्वत राषि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह ने अपनी पहनी हुई पेंट के सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोटों की एक गड्डी निकालकर पेष की, जिसे स्वतंत्र गवाहान श्री पदमसिंह को दिलवाकर गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में कुल 60 नोट होकर कुल 30,000/- रूपये बरामद होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटां के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 30,000/-रू0 को स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह को सुपुर्द कर सुरक्षित अपने पास में रखने की हिदायत की गई। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री इमरान खान से लिवाई गई। तत्पष्चात् आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के पहनने के लिये हाफ पेंट की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया जाकर हाफ पेंट पहनाया गया। एक साफ कांच के गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह की उतरवायी गई पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया। चूंकि आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को सुखाकर बतौर वजह सबूत जब्त किया जाना है उक्त कार्यवाही में अधिक समय लगने की सम्भावना है। जिस पर आरोपी की पेन्ट को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को परिवादी श्री देवकान्त पाराषर से सम्बंधित लम्बित कार्य के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि सीएचसी, जुरहरा पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा कमेटी गठित की गई है उक्त कमेठी का मैं सदस्य हूं। उक्त कमेटी के अध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह, आरसीएचओ तथा मेरे अलावा श्री विरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक अन्य सदस्य है। उक्त जांच की रिपोर्ट मैंने तैयार कर जांच कमेटी के अध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह को भेज दी है। मैंने उक्त रिपोर्ट उनको परसों भेजी है। जिस पर आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को परिवादी से ली गई रिष्वत राषि के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि मैंने उक्त जांच रिपोर्ट श्री देवकान्त पाराषर व उनकी पत्नी के पक्ष में तैयार करने की एवज में इनसे अभी रूपये लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री देवकान्त पाराषर ने बताया कि मेरे, मेरी पत्नी तथा सीएचसी जुरहेरा में पदस्थापित अन्य कार्मिकों के आपसी विवाद की प्रस्तावित जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है जिसमें श्री धर्मवीर सिंह, आरसीएचओ को अध्यक्ष तथा श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक तथा श्री विरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक को सदस्य बनाया गया है। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक ने मुझसे हमारे विरूद्ध चल रही जांच में रिपोर्ट हमारे पक्ष में तैयार करने की एवज में सीएमएचओ डा0 विजय बंसल, जांच कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य तथा स्वयं के लिये 40,000/- रूपये मांग कर अभी थाडी देर पहले मुझसे 30,000/- रूपये प्राप्त किये है। प्रावधानानुसार आरोपी के कब्जे से रिष्वत राषि बरामदगी की विडियो रिकॉडिंग की गई। चूंकि मौके पर आम लोगों की भीड एकत्रित होने से अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है जिस पर अब तक की कार्यवाही के हालात मौके पर उपस्थित आये उच्चाधिकारियों को निवेदन करने पर उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना डीग पर पहुंचकर करने के निर्देष देने पर मौके पर कब्जा एसीबी लिये गये समस्त आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स में रखवाकर ट्रेप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाया गया। तत्पष्चात् निर्देषानुसार परिवादी को अपने वाहन से पुलिस थाना डीग पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह, हमराहियान जाब्ते तथा स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन के समय 02०:45 पीएम पर पुलिस थाना डीग पहुंचा। जहां कानि0 श्री महेन्द्र कुमार नं. 372 निर्देषानुसार आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह की

मोटरसाईकिल लेकर थाने पर उपस्थित आया। जिसको मोटरसाईकिल थाना परिसर में खडा करवाकर निगरानी हेतु हिदायत की गई। परिवादी श्री देवकान्त पाराषर भी अपने वाहन से पुलिस थाना डीग उपस्थित आया। तत्पष्चात् थाने पर एचएम कार्यालय में उपस्थित थाना एचएम को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर आने के प्रयोजन के बारे में बताकर अग्रिम कार्यवाही हेतु एकान्त स्थान के बारे में पूछने पर उनके द्वारा थानाधिकारी कक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने का कहकर उक्त कक्ष उपलब्ध करवाया गया। जिस पर हमराहियान जाब्ते व आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना डीग के कार्यालय कक्ष में पहुंचा, जहां पर आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को कुर्सी पर बैठाया गया। सरकारी वाहन से ट्रेप बाक्स मंगवाया गया। स्वंतत्र गवाह श्री पदम सिंह द्वारा आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के कब्जे से बरामदा रिष्वत राषि 30,000/- रूपये प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के कब्जे से बरामद रिष्वत राषि 30,000 /- रूपयों (500-500 रूपये के कुल 60 नोटों) को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के वरवक्त वाका पहनी हुई पेंट को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब (जहां से रिष्वत राषि बरामद की गई है) को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क P अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितां के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित टै०रप बाक्स में रखा गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह से परिवादी की इन्क्वायरी की पत्रावली के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि परिवादी श्री देवकान्त पाराषर की उक्त पत्रावली मेरे कार्यालय में ही है। जिस पर हमराहियान श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक को प्रकरण से सम्बंधित परिवादी की पत्रावली हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग हेतु रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को हमराहियान जाब्ते की निगरानी में सुपुर्द कर घटनास्थल के निरीक्षण हेतु परिवादी श्री देवकान्त पाराषर तथा स्वतंत्र गवाहान के साथ परिवादी के वाहन से रवाना होकर घटनास्थल वाका गणेष मंदिर तिराया पहुंचा, जहां पर परिवादी की निषादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्षा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर पुलिस थाना डीग पहुंचें। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं0 09, कच्चे तालाब के पास, मोरी मोहल्ला, डीग हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री देवकान्त पाराषर से सीएचसी जुरहेरा में पदस्थापित परिवादी, परिवादी की पत्नी तथा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध प्रस्तावित जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा गठित जांच कमेटी में सदस्य होकर, उक्त की जांच रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में तैयार करने की एवज में दिनांक 24.07.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से सीएमएचओ डा0 विजय सिंघल, स्वयं तथा जांच कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य के लिये 40,000/- रूपये मांग करना तथा आज दिनांक 26.07.2024 को रिष्वत राषि आदान प्रदान के दौरान उक्त मांग के अनुसरण में परिवादी से 30,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह की जामा तलाषी में बरामद मोबाईल फोन के लॉक को खुलवाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चैक किया गया तो उक्त फोन के व्हाटस एप्प काल लॉग में परिवादी से वार्ता करने सम्बंधी कॉल रिसीव/डायल का रिकॉर्ड होना पाया गया। चूंकि उक्त रिकॉर्ड प्रकरण की विषय वस्तु से सम्बंधित है इसलिये आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के कब्जे से बरामद उक्त मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत पृथक से जरिये फर्द जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग से आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह का सेवा विवरण तथा परिवादी के लम्बित कार्य सम्बंधित जांच पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी तथा गवाहान के समक्ष दिनांक 24.07.2024 की रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 26.07.2024 को रिष्वत राषि आदान-प्रदान से पूर्व मोबाईल फोन पर तथा रिश्वत आदान -प्रदान के समय आमने-सामने परिवादी श्री देवकान्त पाराशर व आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के मध्य हुई वार्ताओं फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष उपरोक्त वार्ताओं की लेपटॉप/डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये चार सी.डी. तैयार कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह से रिश्वती राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई की प्रावधानानुसार मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाइ०रल फोन से विडियो रिकॉर्डिंग की गई है जिसे परिवादी, आरोपी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष विभागीय लैपटोप की सहायता से पैनड्राईव में सेव किया गया। पैनड्राईव को एक सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का VD अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। टै०प कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा शिशियों, बरामदा

रिश्वत राशि, कपड़े की थैली (पैकेट)आदि को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते, स्वतंत्र गवाहान तथा गिरफतारशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह मय सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना डीग सदर से रवाना होकर पुलिस थाना मथूरा गेट, भरतपुर पहुंचे। जहां पर तहरिर देकर गिरफतारशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को बंद हवालात करवाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस तथा हमराहियान भी रात्रि मूकीम भरतपुर रहे। दिनांक 27.07.2024 को मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर पहुंचकर बंद हवालात आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह को प्राप्त कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर के कार्यालय पर पहुंचा। गिरफतारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफतारशुदा आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अब तक की कार्यवाही से डा0 विजय कुमार सिंघल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग, जांच कमेटी के अध्यक्ष डा0 धर्मवीर फौजदार, आरसीएचओ, डीग तथा श्री विरेन्द्र सिंह, कनिष्ट सहायक की भूमिका संदेहास्प्रद प्रतीत होती है जिसके सम्बंध में स्थिति विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट हो सकती है। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं0 09, कच्चे तालाब के पास, मोरी मोहल्ला, डीग हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री देवकान्त पाराषर से सीएचसी जुरहेरा में पदस्थापित परिवादी, परिवादी की पत्नी तथा अन्य कार्मिकों के विरूद्ध प्रस्तावित जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग द्वारा गठित जांच कमेटी में सदस्य होकर, उक्त की जांच रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में तैयार करने की एवज में दिनांक 24.07.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से सीएमएचओ डा0 विजय सिंघल, स्वयं तथा जांच कमेटी के अध्यक्ष व अन्य सदस्य के लिये 40,000/- रूपये मांग करना तथा आज दिनांक 26.07.2024 को रिष्वत राषि आदान प्रदान के दौरान उक्त मांग के अनुसरण में परिवादी से 30,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल उम्र 43 साल निवासी वार्ड नं0 09, कच्चे तालाब के पास, मोरी मोहल्ला, डीग हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीग के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (रघुवीर शरण) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 157 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 809-13 दिनांक 27.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2 निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/07/2024 10:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)